Indian J. Soc. & Pol. 11 (01): 125-130 : 2024 **ISSN : 2348-0084 (PRINT)**
(July-December 2023), 29 February 2024 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारतीय राजनीति में दल–बदल

कृष्ण कुमार सिंह[1], विशाल कुमार[2]

[1]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया, उ0प्र0, भारत
[2]असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दादर आश्रम, सिकन्दरपुर, बलिया, उ0प्र0, भारत

ABSTRACT

'दल–बदल' राजनीति जो विश्व भर में देखी जाती है, भारतीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण प्रभावों के साथ विद्यमान है। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन समय से आगे बढ़ा है, जो वेदों, महाजनपदों के गणराज्यों और मौर्य साम्राज्य में प्रतिभागी एवम् विमर्शी संस्कृति को पोषित कर रहा है। हालांकि, आधुनिक भारतीय राजनीति, 'दल–बदल' की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके निर्दिष्ट कारक हैं जैसे कि दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी, राजनेताओं का राजनीतिक लाभ और राजनीतिक नेतृत्व या नीतियों से असंतुष्टि। ये दल–बदल गतिविधियां नीति अनिश्चितता में योगदान करती हैं, विकास परियोजनाओं को रोकती हैं और सामाजिक असमानताओं को और बढ़ाती हैं, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों के लिए बाधाएं पैदा होती हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हालिया घटनाएं भारत में दल–बदल राजनीति की स्थितिगत चुनौतियों को अधिक महसूस कराती हैं। इसलिए लोकतांत्रिक सिद्धांतों को संरक्षित रखने और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत सुधारों तथा समाज एवं राजनीति में नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना की बहुत आवश्यकता है।

KEYWORDS: *लोकतंत्र, राजनीतिक दल, दल–बदल, आर्थिक विकास, असमानता, अस्थिरता।*

भारत विश्व में सबसे बडा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र प्रणाली के गुण जैसे सामूहिक विचार–विमर्श, गणराज्य पद्धति, भारत में प्राचीन राजवंशो और शासन व्यवस्था में मौजूद थीं (राधाकृष्णन, 1957)। वेदकालीन व्यवस्था, महाजनपदों की गणराज्य एवं संघीय पद्धति, एक मंत्रिपरिषद जैसी संस्था होती थी, राजा संघ की सहमति से निर्णय लेता था (कजिन्स, 2001, 57–63)। इसी प्रकार प्राचीन भारतीयों राजवंशों में, मौर्यकाल और गुप्तकाल में लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अंश मिलते हैं। मौर्य सम्राट अशोक, जिन्हें सामाजिक कल्याण (धम्म की नीति) और नैतिक शासन के लिये जाना जाता था, वे स्थानीय सभाओं, समितियों और पुरोहित–अधिकारियों के साथ परामर्श लेकर ही शासन व्यवस्था के कार्य किया करते थे (थापर,2013)।

आधुनिक भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में विदेशी ब्रिटिश साम्राज्य एवं उनके द्वारा स्थापित उपनिवेशवाद का महत्वपूर्ण प्रभाव है। ब्रिटिश संसद ने 16वीं शताब्दी के शुरूआत में एक चार्टर द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों को पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति दी। सन् 1600 ई. ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा 'ईस्ट इंडिया कंपनी' की स्थापना की गई। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने 'रेगुलेटिंग एक्ट' सन् 1773 से लेकर 'भारतीय सरकार अधिनियम 1858' तक इस व्यापारिक कम्पनी का संस्थाकरण किया। 1858 के बाद ब्रिटिश संसद का भारत पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया और यह ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बना गया जिसकी प्रमुख ब्रिटेन की महारानी थी। इसके बाद 'भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947' तक ब्रिटिश संसद ने एक ढीली–ढाली संस्थाओं का निर्माण किया जो उनकी राजनीतिक, उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी लाभ के लिए बनाई गई थीं (ब्राउन, 1994)। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने इन संस्थाओं से लोकतांत्रिक पक्ष को अपनाया और इन संस्थाओं का राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रयोग किया। संविधान सभा के सदस्यों ने प्राचीन भारतीय परंपरा और इन्हीं अधिनियमों और संस्थाओं के समन्वयन से भारत में लोकतंत्र का निर्माण किया और भारत को लोकतांत्रिक राज्य बनाने में योगदान दिया।

'दल–बदल' राजनीति भारत में 1960 के दशक से एक प्रमुख मुद्दा रही है और 1985 में दल–बदल विरोधी कानून के अधिनियमन के बाद भी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। यह प्रक्रिया कई कारकों से उत्पन्न होती है, जिसमें राजनीतिक लाभ, विचारधारा की कमी, दल की कमजोर संरचना, चुनावी विचारों और दल के नेतृत्व में असंतुष्टि इत्यादि शामिल हैं। भारत में राजनेता अक्सर व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलते हैं, जैसे मंत्री पद प्राप्त करना या वे विश्वास करते हैं कि ये दल–बदल उन्हें चुनाव जीतने के अवसरों को प्रदान करता है। लेकिन, दल–बदल राजनीति कई तरीकों से भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करती हे। पहले, यह लोकतंत्र की निर्वाचन संस्कृति को कमजोर करती है, क्योंकि दल बदलने वाले मतदाता की पसंद को प्रभावित करती है। उन्हें दल के नीतियों और विचारधारा के आधार पर मतदाताओं ने चुना था। दूसरे, यह राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाता है, क्योंकि बार–बार दल–बदल सरकारों के पतन का कारण बनता है। तीसरे, यह दल प्रणाली को कमजोर करता है, क्योंकि यह बहुमत प्राप्त निश्चित दल के स्थान पर दल–बदल को बहुलता देती है, जिससे मजबूत लोकतंत्र का आधार कमजोर होता है। अंततः दल–बदल जवाबदेही को कम करती है, क्योंकि दल–बदल करने वाले राजनेता आसानी से मतदाता की जवाबदेही या जांच से बच सकते हैं। इस चुनौतियों का सामना करने और भारतीय लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए, आज भारत में

1: Corresponding Author

आंतरिक दलीय अनुशासन को मजबूत करना, दल–बदल को नियंत्रित करने के लिए कठोर कानूनों का प्रावधान करना और नैतिक राजनीति की एक संस्कृति को पोषित करने की बहुत आवश्यक है।

अनुसंधान पद्धति –

यह अध्ययन भारत में दल–बदल राजनीति का 'गुणात्मक अनुसंधान प्रणाली' अपनाता है, जिसमें सामग्री विश्लेषण शामिल है और यह मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। इस प्रणाली में निम्नलिखित चरण शामिल हैं :

1. साहित्य समीक्षा : भारत में दल–बदल राजनीति पर मौजूदा साहित्य की विस्तृत समीक्षा की गई है, जिसमें विशेषज्ञों के लेखों, अनुसंधान पत्रों, सरकारी रिपोर्टो और मीडिया कवरेज शामिल हैं। यह व्यापक साहित्य समीक्षा एक आधारभूत समझ प्रदान करेगी जो दल–बदल राजनीति से सम्बन्धित ऐतिहासिक संदर्भ, सैद्धांतिक ढांचा और 'एम्पिरिकल' प्रमाणों को संबोधित करती है।

2. केस स्टडीज : भारतीय राजनीति में दल–बदल की विशेष केस स्टडीज का विश्लेषण किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हाल के घटनाक्रमों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन केसों का गुणात्मक विश्लेषण करके, इस अध्ययन का उद्देश्य राजनीतिक गतिशीलता, प्रमुख अभिकर्ताओं पर प्रभाव, और शासन और लोकतंत्र पर इसके प्रभाव की जॉच करना है।

3. डेटा विश्लेषण : भारत में दल–बदल के रूझान, राजनीतिक पार्टी की गतिविधियों, चुनावी परिणामों, और शासन सूचकांकों पर संबंधित डेटा को एकत्र और विश्लेषण किया गया है। सामग्री विश्लेषण तकनीकों का उपयोग किया गया है, ताकि आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, और लोकतंत्रिक स्थिरता पर दल–बदल राजनीति के प्रभाव की पहचान की जा सके।

4. तुलनात्मक विश्लेषणः भारत में दल–बदल राजनीति के अध्ययन के नतीजों को अन्य देशों में होने वाले समान प्रभावों के साथ तुलना की गई है। यह तुलनात्मक विश्लेषण विभिन्न नियामक ढांचाओं की प्रभावकारिता, दल–बदल के पीछे की वजहों का पता लगाने और लोकतंत्र और शासन के लिए प्रभाव की चिंता में आगे की समझ प्रदान करेगा।

5. नैतिक विचार : अनुसंधान प्रक्रिया के दौरान नैतिक सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों के अधिकारों और गोपनीयता का सम्मान, डेटा संग्रह और विश्लेषण में पारदर्शिता और विश्लेषण की निष्पक्षता के लिए नैतिक मानकों का पालन किया गया है। अनुसंधान के परिणामों की अखंडता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए नैतिक मानकों का पालन किया गया है।

'गुणात्मक अनुसंधान प्रणाली', सामग्री विश्लेषण और द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होने के साथ, यह प्रक्रिया भारत में दल–बदल राजनीति के क्षेत्र में जांच प्रदान करने का उद्देश्य है, जिसमें लोकतंत्र, शासन और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए दल–बदल राजनीति के प्रभावों को समझने का प्रयास किया जाएगा।

राजनीतिक दल क्या है?

'राजनीतिक दल' वह संगठन है जिसमें समान राजनीतिक विचारधारा, उद्देश्य और लक्ष्य रखने वाले लोग संगठित होते हैं, जो सार्वजनिक नीति पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। चुनाव लड़कर सरकार में राजनीतिक शाक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। राजनीतिक दल लोकतांत्रिक समाजों में नागरिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करके, नीतियों का निर्माण करके और राजनीतिक भागीदारी और लोगों के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। एडमंड बर्क दल या पार्टी को ''एक संगठन के रूप में परिभाषित करते है जो अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए, किसी विशेष सिद्धान्त पर, जिसमें वे सभी सहमत हों (मोर्स, 1896, 68–81)। राजनीतिक दलों का लोकतंत्र के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका है। राजनीतिक दल समाज में विभिन्न हितों और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे जो नागरिक दलों की विचारधारा एवं कार्य पद्धति से सहमत होते हैं वे राजनीति में भागीदार बनते हैं ;सारटोरीए 1976द्ध। दल नीतियों के विकास और प्रचारक होते हैं जो समाज के विभिन्न अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीतिक विवदों पर चर्चाओं एवं राजनीतिक भागीदारियों से लोकतंत्र के विमर्शी स्वरूप और भागीदारी लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व अच्छे से होता हैं विवादों पर लोकतान्त्रिक तरीकों से समाधान, चर्चाओं और राजनीतिक भागीदारियों से लोकतंत्र सशक्त एवं मजबूत होता हैं राजनीतिक दल समाज में विभिन्न हितों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक वाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी करने की अनुमति देते हैं। लोकतान्त्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल स्वस्थ प्रतियोगिता करती है, जिससे लोकतंत्र के विमर्शी स्वरूप सशक्त होता है। संसदीय प्रणाली वाले लोकतंत्र देश में सामान्यतः बहुदलीय प्रणाली पायी जाती है, भिन्न–भिन्न मत और विचारधारा वाले दल सरकारी कार्यक्रमों, योजना, नियमों की समीक्षा एवं सरकार पर दबाव डालते है जिससे समय–समय पर सरकार की जवाबदेही तय होती है। विपक्षी दल उन्हें समीक्षा और आलोचना प्रदान करते है, पारदर्शित सुनिश्चित करते है और इस प्रकार सत्ता के दुरूपयोग को रोकते है। राजनीतिक दल नियमित चुनाव के माध्यम से शान्तिपूर्ण राजनीतिक शाक्ति के स्थानान्तरण को सुनिश्चित करके राजनीतिक स्थिरता में सहायक होते है। राजनीतिक दल लोकतन्त्र में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते है, उनके अधिकारों और हितों के पक्षधर में वकालत करते हैं (लिप्सेट एण्ड रोक्कन, 1967) व (कॉक्स एण्ड मैककबिन्स, 1993)।

'दल–बदल'

'दल–बदल', जिसे 'फ्लोर क्रॉसिंग' या 'पार्टी स्विचिंग' के रूप में भी जाना जाता है, चुने गए प्रतिनिधियों या राजनेता के वर्तमान राजनीतिक दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होने या स्वतंत्र हो जाने की क्रिया को संदर्भित करता है। यह सरकार के विभिन्न स्तरों–राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या स्थानीय स्तर पर हो सकता है (स्मिथ, 2010)। दल बदल के अक्सर विभिन्न करण होते हैं, जैसे विचारधारा, दल के नेतृत्व के प्रति असंतोष, व्यक्तिगत महात्वाकांक्षा या नीतिगत मुद्दों पर असहमति के कारण। दल–बदल एक वैश्विक परिघटना है, यह मुख्यतः भारत, इजराइल, दक्षिण कोरिया, नाइजीरिया और कनाडा में एक राजनीतिक मुद्दा है (नवागयू 2019, 1–13) व (किम, 2016, 155–169) व (यादव, 2015, 281–. 298)। भारत के परिप्रेक्ष्य में दल–बदल का तात्पर्य, निर्वाचित प्रतिनिधि का राजनीतिक दल बदलना या अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होना होता है। इससे संसद या राज्य की विधानमंडलो में शक्ति संतुलन एवं सरकार का बहुमत परिवर्तित हो जाता है। दल–बदल में सामान्यतः अपने दल से इस्तीफा देना, किसी अन्य दल में शामिल होना या एक नए दल का गठन करना होता है। (चौधरी, 2014, 12–26) व (सिंह, 2017, 64–69)

भारतीय राजनीति में दल–बदल के कारण –

भारतीय राजनीति में दल–बदल होने के अनेक कारण होते हैं, जो प्रत्येक के विशिष्ट परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यहॉ कुछ सामान्य कारणों को दिया गया है :

1–राजनीतिक दल में आतंरिक लोकतंत्र की कमी : भारत में कई राजनीतिक दलों में आतंरिक लोकतंत्र की कमी है, जहां निर्णय कुछ मुख्य व्यक्तियों या परिवारों के चारों ओर केन्द्रीकृत होते हैं। इस लोकतंत्र की कमी से दल के सदस्यों में असंतोष हो सकता है, जो उन्हें बेहतर अवसरों की खोज में किसी अन्य जगह जाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में, 2014 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई सदस्य अन्य पार्टीयों में गए थे, क्योंकि उन्हें दल के निर्णय लेने की प्रक्रिया में केंद्रीकृत व्यवस्था के कारण असंतोष था (इंडिया टुडे, 17 जुलाई 2014)।

2–अवसरवादी विचारोंः व्यक्तिगत राजनेता अक्सर अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को दल वफादारी से अधिक प्राथमिकता देते हैं। वे उन दलों में शामिल हो सकते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करते हैं, जैसे कि मंत्री पदों या चुनावी लाभ। उदाहरण की बात करें, 2020 में, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने बेहतर कैरियर के अवसरों एवं कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व का उल्लेख किया (द इकॉनॉमिक टाइम्स, 2020, 11 मार्च)।

3–गठबंधन राजनीतिः भारत की बहु–दलीय प्रणाली और अक्सर संघर्षशील राजनीतिक सरकारें दल–बदल के प्रमुख कारण होते हैं। गठबंधन के भीतर छोटे दलों के सदस्य अधिकतम राजनीतिक प्रभाव या स्थिरता के लिए बड़े दलों में शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में 2019 में, तेलुगु देशमुख पार्टी (टीडीपी) के कई राज्य सभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में जाकर राज्य के राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव का कारण बने (इंडिया टुडे, 2019, 21 जुलाई) ।

4–दल नेतृत्व या नीतियों से असंतोषः दल नेतृत्व या नीतियों के साथ असंतोष भी राजनेता को दलबदल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। वे अपने दल को कार्यकारी आदेश नहीं मानते जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाते, जिससे उन्हें वैकल्पिक राजनीतिक सम्बन्ध खोजने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के रूप में, 2015 में, हिमंता बिस्वा सरमा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जाने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने पार्टी के नेतृत्व और नीतियों के साथ असंतोष का उल्लेख किया (द इकॉनॉमिक टाइम्स, 2015, 28 अगस्त) ।

भारतीय राजनीति में दल–बदल 1967 के आम चुनावों के बाद शुरू हुआ। इस अवधि में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनों और शक्ति के स्थानांतरण के कारण 1967 के चुनाव भारतीय राजनीति में एक मोड़ के रूप में माने जाते हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में अपनी राजनीति शक्ति खो दी और अनेक गैर–कांग्रेसी सरकारों और गठबन्धन सरकारों का उदय हुआ (चौधरी, 2014, 12)। इस अवधि में दल–बदल का एक उल्लेखनीय उदाहरण उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ। 1967 के चुनाव के बाद, कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपनी बहुमत खो दी। इसके बाद, भारतीय क्रांति दल (बीकेडी) के चरण सिंह के नेतृत्व में विभिन्न छोटे दलों और स्वतंत्र सदस्यों के समर्थन से 'संयुक्त विधायक दल' नामक एक सरकार बनाई गई। हालांकि, दल–बदल और राजनीतिक चालबाजी ने सरकार को कमजोर कर दिया और चरण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन से नई सरकार बनाई। एक और उदाहरण है बिहार राज्य का, जहां कांग्रेस पार्टी ने 1967 के चुनाव के बाद बहुमत खो दिया था। कांग्रेस सरकार की जगह संयुक्त समाजवादी पार्टी (एसएसपी) और अन्य क्षेत्रीय दलों द्वारा महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में एक सीमित सरकार बनाई गई। हालांकि, सरकार के भीतर दल–बदल और आंतरिक विवादों से उसकी स्थिरता कमजोर हुई, जिससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। ये उदाहरण दिखाते हैं कि 1967 के चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की शुरूआत के रूप में माने जाते हैं, जो सीमित क्षेत्रीय सरकारों का उदय और राजनीतिक दलों के बीच दलबदल की अधिकता के साथ–साथ हुआ।

इंदिरा गांधी के शासनकाल में भी (1970 से 1980 तक) भारतीय राजनीति में दल बदल के कई उदाहरण देखे गए थे। उनकी नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं ने अपने अंतर्निहित निजी कारणों एवं महत्वाकांक्षाओं का उपयोग करके पार्टी के निर्णयों को निर्धारित किया। इससे दल के अंतर्निहित आंतरिक लोकतंत्र में कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप कई

सदस्यों ने पार्टी छोड़ दी और अन्य दलों में शामिल हो गए। इस दौरान, कई राजनीतिज्ञ अपने व्यक्तिगत राजनीतिक हितों को पार्टी वफादारी से अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और वे अन्य दलों में शामिल हो जाते थे जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करते थे। इसका एक उदाहरण था जब 1969 में, इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से अलग होकर नई कांग्रेस (आर) पार्टी की स्थापना की और 1971 के चुनावों में स्वयं को प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। इस काल के दौरान गठबंधन राजनीति काफी महत्वपूर्ण थी। कई छोटे राजनीतिक दल बड़े गठबंधनों में शामिल होते थे, जो उन्हें अधिक राजनीतिक प्रभाव या स्थिरता प्रदान करते थे। इसका एक उदाहरण था जब इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों के लिए गठबंधन बनाया, जिसमें उन्होंने अनेक छोटे दलों के साथ मिलकर चुनावी अभियान चलाया।

हाल ही में, महाराष्ट्र में दल–बदल राजनीति की कई घटनाएँ हुई हैं जिसने राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित किया। एक प्रमुख घटना 2022 में हुई जब शिवसेना के विधायकों के एक गुट ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सरकार बनाई। इससे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल उत्पन्न हुआ। इससे पूर्व शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन सरकार चला रहा था। उसी तरह, मध्य प्रदेश में 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया जिससे राज्य में कांग्रेस–नेतृत्व वाली सरकार का विघटन हुआ। इस दल–बदल ने भाजपा को नई सरकार बनाने का रास्ता खोल दिया। विधायकों के इस्तीफा देने और उसके बाद के दल–बदल ने मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक शक्ति संतुलन में परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हाल की घटनाएं दिखाती हैं कि दल–बदल राजनीति भारतीय राज्यों में राजनीति परिदृश्य और शासन को कैसे प्रभावित करती है, अक्सर राजनीतिक शक्ति और गठबंधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाती हैं।

''आया राम, गया राम'' एक प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक कहावत है जो 1960 के दशक में आई थी। इसका अर्थ होता है कि चुने गए प्रतिनिधियों का व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक अवसर के लिए वे अक्सर राजनीतिक दल बदलते हैं। यह कहावत एक घटना से उत्पन्न हुई है, जब हरियाणा राज्य में 1967 में एक विधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार राजनीतिक दल परिवर्तन किया, जिससे उन्हें ''गया राम'' का उपनाम प्राप्त हुआ। यह उक्ति बाद में भारत में दल–बदल राजनीति के साथ सम्बन्धित हो गई और यह राजनीतिक दलों की अस्थिरता को दिखाती है, जो सरकारों और राजनीतिक दलों की स्थिरता को कमजोर करती है, जिससे सतत् बहुमत और गठबंधन बदलते रहते हैं।

लोकतंत्र पर दल–बदल का प्रभाव –

भारतीय लोकतंत्र के सन्दर्भ में दल–बदल का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर कैसा प्रभाव होता है, उस पर और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे।

आर्थिक विकास

1–नीति अनिश्चित्ता : दल–बदल नीति अनिश्चित्ता की ओर ले जाती है क्योंकि दल–बदल से बनी सरकारों को स्पष्ट बहुमत या पूर्व नीतिगत कार्यक्रम की कमी हो सकती है। यह अनिश्चित्ता घरेलू और विदेशी दोनों निवेश को रोक सकती है और आर्थिक विकास में बाधा डाल सकती है।

2–विकास परियोजनाओं का अवरूद्ध होनाः दल–बदल द्वारा उत्पन्न राजनीति अस्थिरता चल रही विकास परियोजनाओं और पहलों को बाधित कर सकती है, जिससे देरी और लागत के बढ़ जाने का सामना करना पड़ सकता है। यह अवरोधन बुनियादी सेवाओं का विकास, औद्योगिक विकास और सामान्य आर्थिक प्रगति को अवरूद्ध कर सकता है।

3–बजटीय सीमाओंः दल–बदल अक्सर अस्थिर गठबंधन सरकारों या अल्पमत सरकारों के रूप का निर्माण करता है, जो बजट पास करने और वित्तीय नीतियों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने में संघर्ष कर सकते हैं। यह बजटीय सीमाओं का परिणाम हो सकता है, जो आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश को प्रतिबंधित करता है।

4–आर्थिक सुधारों प्रभावः दलबदल महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों के क्रियान्वित करने में अप्रभावी हो सकती है। नियमित दल–बदल के कारण नीतियों से समझौता हो सकते है, जिससे सुधार के प्रयासों को रोका जा सकता है या कमजोर किया जा सकता है, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बाधित कर सकता है। (सिंह, 2017, 64–69) और (श्रीधरन, 2001)

सामाजिक न्याय

1–प्रतिनिधित्व और जवाबदेही : दल–बदल प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के सिद्धांत को कमजोर करता है क्योंकि चुने गए प्रतिनिधियों को नेतृत्व बदलने के लिए मतदाताओं के प्रति जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है। यह चुने गए अधिकारियों और उनके चुनावकर्ताओं के बीच संबंध को कमजोर करता है, जो लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के प्रभाव को कम करता है।

2–संसाधनों का अनुचित वितरण : दल–बदल अक्सर राजनीतिक लाभ के साथ सम्बन्धित होता है, जहां राजनीतिज्ञों को दल बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। इससे संसाधनों का अनुचित वितरण हो सकता है।

3–सामाजिक सामंजस्य का अभाव : दल–बदल ने राजनीतिक पृष्ठभूमियों को बढ़ावा देकर सामाजिक सामंजस्य को कमजोर किया है, जो लोकतांत्रिक संस्थानों में जनता के विश्वास को खतरे में डालता है। यह नफरत और द्वंद्व की सोच को बढ़ा सकता है, जो जातीय, धार्मिक या क्षेत्रीय रेखाओं के साथ सामाजिक उन्माद को बढ़ा सकता है, जो समावेशी और सामाजिक न्याय के प्रति

प्रयासों को विघटित कर सकता है (कपूर और वैष्णव, 2017, 90–104)।

सारांश में, भारतीय लोकतंत्र में दल–बदल का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। यह नीति की अखंडता को कम करता है, विकास परियोजनाओं और सुधारों को बाधित करता है तथा सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है। दल–बदल के द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों का सामना और समाधान करना भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर दलबदल का प्रभाव महत्वपूर्ण है। यह भारतीय लोकतंत्र की नीतियों और समाज की विकास योजनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। आर्थिक विकास के मामले में, दल–बदल नीति अनिश्चितता और विकास कार्यो के विघटन का कारण बन सकता है। यह नीतियों के अनिश्चित रहने के कारण निवेश में घटाव, परियोजना के शुरूआत में देरी, और अर्थव्यवस्था के विकास में बाधाएं पैदा कर सकता है। अधिकतर दल–बदल के प्रारम्भ में नई सरकार बजट बनाने में असमर्थ हो सकती है, जिससे आर्थिक विकास पर प्रतिबंध डाल सकता हैं। इसके अलावा, दल–बदल से सरकारों के रूप में गठित गठबंधन का उदय हो सकता है जो नीति कार्यक्रमों में अस्थिरता का कारण बन सकता है। दल–बदल प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त को कमजोर करता है और सामाजिक समानता के प्रति असमानता को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक समूहों के बीच असमानता को बढ़ाता है और सामाजिक अस्थिरताओं को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, दल–बदल से उत्पन्न होने वाली सामाजिक और आर्थिक असमानताएं सामाजिक अस्तित्व और सामाजिक सामंजस्य को कमजोर कर सकती है।

निष्कर्ष रूप में, दल–बदल ने भारतीय लोकतंत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय पर गहरा प्रभाव डाला है। इसने राजनीतिक अस्थिरता, नीतियों में बार–बार बदलाव, विकास कार्यो में व्यवधान और सामाजिक असमानता में बढ़ोतरी को बढ़ावा दिया है। भारत में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने के लिए दल–बदल के द्वारा उत्पन्न की गई चुनौतियों का सामना करना बहुत आवश्यक है। किसी भी देश में लोकतंत्र को सशक्त करने के लिये सामाजिक न्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। इस प्रकार दल–बदल भारत में लोकतंत्र एवं चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

REFERENCES

राधाकृष्णन, एस. एण्ड मूर, सी. ए. (सम्पादित) (1957): *ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी*, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस

कजिन्स, एल. एस. (2001): द डेटिंग ऑफ द हिस्टोरिकल बुद्ध : ए रिव्यू आर्टिकल, *जर्नल ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसायटी*, 3(**6**), 57–63

थापर, आर. (2013): *अशोक एण्ड द डिक्लाइन ऑफ मौर्याज*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

ब्राउन, जे. एम. (1994): *मॉडर्न इंडिया: द ऑरिजिंस ऑफ एन एशियन डेमोक्रेसी*, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस

मोर्स, ए. डी. (1896): व्हाट इज ए पार्टी ? *पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली*, 11(**1**), 68–81

सारटोरी, जी. (1976): *पार्टीज एण्ड पार्टी सिस्टम्स: ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस*, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस

डाउन्स, ए. (1957): *एन इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमक्रिसी*, हार्पर एण्ड रो

लिप्सेट, एस. एम. एण्ड रोक्कन, एस. (1967): *क्लीवेज स्ट्रक्चर्स, पार्टी सिस्टम्स, एण्ड वोटर अलाइनमेंट्स: एन इंट्रोडक्शन इन पार्टी सिस्टम्स एण्ड वोटर अलाइनमेंट्स: क्रॉस–नेशनल पर्स्पेक्टिव्स*, द फ्री प्रेस

कॉक्स, जी. डब्ल्यू एण्ड मैककबिन्स, एम.डी. (1993): *लेजिस्लेटिवे लेवायथन: पार्टी गवर्नमेंट इन द हाउस*, यूनियवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया प्रेस

स्मिथ, डी.जे. (सम्पादित) (2010): *''पार्टी डिफेक्शन्स फ्रॉम द लेबर पार्टी, 1945–2009''* मैंचेस्टर यूनिवर्सिटी प्रेस

नवागयू इ. (2019): ''पॉलिटिकल पार्टी डिफेक्शन इन नाइजीरिया: इम्प्लीकेशन्स फॉर गुड गवर्नमेंट एण्ड डेमक्रिसी'' *जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड गवर्नेंट्स*, 9(**1**), 1–13.

किम, एच. (2016): ''लेजिस्लेटिव पार्टी स्विचिंग इन साउथ कोरिया: मोटिव्स, प्रोसेसेस, एण्ड कांसीकेंसेज'' ईस्ट एशिया: *एन इंटरनैशनल कार्टरली*, 33(**2**), 155–169.

यादव, वाई. (2015): *''पालिटिकल पार्टिज, पार्टी डिफेक्शन एण्ड पार्टी हॉपिंग: द इंडियन एक्सपीरिएंस''* इन एस0आर. शुक्ला एण्ड आर.के. मिश्रा (सम्पादित) पॉलिटिकल पार्टिज इन साउथ एशिया (पी.पी. 281–298) राउटलेज

चौधरी, एन. (2014): ''डिफेक्शन इन इंडियन पॉलिटिक्स: ए स्टडी ऑफ स्टेट पॉलिटिक्स'' *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन मोशल साइंसेज*, 4(**1**), 12–26.

भारतीय संविधान, एंटी–डिफेक्शन लॉ, टेन्थ सेड्यूल

''इंडियन नेशनल कांग्रेस क्राइसिस: अनादर लीडर, मिफ्ड बाय इंटरनल पॉलिटिक्स, किक्ट्स पार्टी टू जॉइन बीजेपी '' *इंडिया टुडे*, 17 जुलाई 2014

इकॉनॉमिक टाइम्स (2020, मार्च 11): ज्योतिरादित्य सिंधिया जॉइन्स बीजेपी, सेव कंट्रीज़ फ्यूचर सेक्यूर इन नरेंद्र मोदीज हैंड्स, द इकॉनॉमिक टाइम्स, रिट्रीव्ड फ्राम https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/jyotiraditya-scindia-joins-bjp-says-countrys-

future-secure-in-narendra-modis-hands/articleshow/74576951.cms

इंडिया टुडे (2019, जून 21): राज्य सभा अप्रूव्स टीडीपी एमपीज' मूव टू जॉइन बीजेपीः आंध्र पार्टी क्राइसेस फोल। इंडिया टुडे, रिट्रीव्ड फ्राम https://www.indiatoday.in/amp/india/story/rajya-sabha-approves-tdp-mps-move-to-join-bjp-andhra-party-cries-foul-1553812-2019-06-21#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=17068527610032&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

इकॉनॉमिक टाइम्स (2015, अगस्त 28): असम कांग्रेस लीडर हिमंता बिस्व सरमा टू जॉइन बीजेपी, द इकॉनॉमिक टाइम्स, रिट्रीव्ड फ्राम https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/assam-congress-leader-himanta-biswa-sarma-to-join-bjp/articleshow/48643482.cms

चौधरी, एन. (2004): ''डू पार्टी सिस्टम्स काउंट ? द नंबर ऑफ पार्टिज एण्ड गवर्नमेंट पर फॉर्मेस इन द इंडियन स्टेट्स, '' *कॉम्पैरेटिव पॉलिटिकल स्टडीज,* 37(**2**), 152–187.

सिंह, एम. (2017): ''डिफेक्शनः ए मेनेस टू डेमॉक्रेसी'' *इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च,* 6(**1**), 64–69.

श्रीधरन, ई. (2001): *''स्टेट ऑफ डेमॉक्रेसी इन साउथ एशिया* : ए रिपोर्ट बाय द सीएसडीएस–लोकनीति टीम।'' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

कपूर, डी. एण्ड वैष्णव, एम. (2017): ''द कोस्ट्स ऑफ इंडियाज पार्टी सिस्टम'', *जर्नल ऑफ डेमोक्रेसी,* 28(**4**), 90–104